

कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला महासमुन्द (छ0ग0)

दूरभाष क्रमांक - 07723223969, ई-मेल landrecordmsd2000@gmail.com

क्रमांक / 1144 / कले / भू0अ0 / 2023

महासमुन्द, दिनांक 19/07/2023

—:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::—

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-02 के सफल क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इन्द्रावती टाईगर रिजर्व, बीजापुर वनमंडल रकबा 5.880 भोरमदेव अभ्यारण्य, कवर्धा वनमंडल रकबा 3.579 हे. अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी वनमंडल रकबा 3.196 हे. भोरमदेव अभ्यारण्य, कवर्धा वनमंडल रकबा 0.114 हे. एवं उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद वनमंडल रकबा 3.883 हे. कुल रकबा 16.652 हे. वन क्षेत्र के व्यपवर्तन प्रस्तावों के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) हेतु ग्राम बरोण्डा बाजार एवं भलेसर तहसील महासमुन्द जिला महासमुन्द क्षेत्रान्तर्गत निम्नानुसार राजस्व भूमि का चिन्हांकन किया गया है :-

वन मण्डल	परिक्षेत्र	पटवारी हल्का नं. एवं राजस्व ग्राम	चयनित भूमि का विवरण			
			खसरा नं.	कुल रकबा	रोपण हेतु चयनित रकबा	रोपण का प्रकार
महासमुन्द	महासमुन्द	प.ह.नं. 040-ग्राम बरोण्डा बाजार	758 / 1	5.360	2.760 हे.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु
		प.ह.नं. 040-ग्राम बरोण्डा बाजार	951	3.120	3.120 हे.	
		प.ह.नं.-43 भलेसर	1597 / 1	53.430	10.802 हे.	

यह अनापत्ति प्रमाण -पत्र ग्राम बरोण्डाबाजार एवं भलेसर में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता हो, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

अतः चयनित राजस्व भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2(अन्तर्गत) व्यपवर्त के बदले क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला महासमुन्द